न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-511/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) राम चन्द्र पासवान, पिता-बेचन पासवान,
सा0-लक्ष्मीपुर, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया
जिला-अररिया

(2) विरेन साह, पे0-स्व0 जगदीश साह,
सा0-फुलकाहा बाजार नया टोला, थाना-फुलकाहा,
जिला-अररिया ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.04.2021		

इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1617/हि0शा0,दिनांक-03.09.2020) के आलोक में फुलकाहा थाना कांड संख्या-52/2020, दिनांक-08.05.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त एक साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। विपक्षी साईकिल मालिक को हर्जाना मो0 50 रू0 अधिरोपित करते हुए अंतिम मौका भी दिया जा चुका है। बावजूद विपक्षी की ओर से कोई समुचित पैरवी नहीं है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है।

(2) विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1617/हि0शा0, दिनांक-03.09.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया।

(3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि पुलिस अवर निरीक्षक अपर थानाध्यक्ष (विधि व्यवस्था) फुलकाहा थाना महेन्द्र प्रसाद यादव दिनांक 08.05.2020 को समय 09.00 बजे थाना से **B.H.G. 401771, B.H.G. 401772,** शंभु मंडल तथा चालक सिपाही 04 अखिलेश यादव के साथ सरकारी वाहन से गश्ती, वाहन जाँच तथा बैंक सुरक्षा डियूटी करने हेतु प्रस्थान किये। समय 10.00 बजे सुरसर चौक पहुँचे तो उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सा0-अँचरा, सौतारी (आदिवासी टोला) से होते हुये दो व्यक्ति देशी चुलाई शराब लेकर आ रहे हैं। समय 10.10 बजे घुरना मोड़ से अँचरा सौतारी आदिवासी टोला की तरफ जाने वाली रास्ता में पहुँचे तो देखे कि दो व्यक्ति साईकिल से कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। पुलिस गाड़ी को देखते ही एक व्यक्ति तेजी से कुदकर भागने लगे तथा एक व्यक्ति साईकिल से उतरकर खड़ा हो गये। भागे व्यक्ति को पीछा किया गया। वह बगल के ही गाँव में किसी का घर में जाकर छिप गया। काफी खोजबीन किया गया लेकिन उसका अता-पता नहीं चल सका। पकड़ाये गये व्यक्ति से नाम व पता पूछने पर उसने अपना नाम-1. राम चन्द्र पासवान, पिता-बेचन पासवान, सा0-लक्ष्मीपुर बताया तथा भागे व्यक्ति का नाम पूछने पर उसका नाम-2. विरेन साह, पे0-स्व0 जगदीश साह, सा0-फुलकाहा बाजार नया टोला, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया बताया। दो साक्षी-1. संजीत कुमार दास, पे0 स्व0 पूरन दास, सा0-सुरसर, वार्ड नं0-3 एवं 2. घनश्याम पोद्दार, पे0-स्व0 सदानंद पौद्दार, सा0-अँचरा, वार्ड नं0-06, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के समक्ष तलाशी लिया गया, जिसमें से एक झोला में रखा दो पीला रंग का डब्बा में दो-दो लीटर का देशी चुलाई शराब मिला। बरामद देशी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
10.04.2021	चुलाई शराब एवं साईकिल को विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया।	

(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक-1617/हि0शा0, दिनांक-03.09.2020) तथा संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि फुलकाहा थाना कांड संख्या-52/2020, दिनांक-08.05.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद शराब एवं एक साईकिल को पुलिस अवर निरीक्षक, अपर थानाध्यक्ष (विधि व्यवस्था) फुलकाहा थाना द्वारा विधिवत् जब्ती सूची बनाकर जब्त किया गया है। जब्त साईकिल का उपयोग 04.00 लीटर देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त साईकिल का कोई दावेदार नहीं है। जब्त साईकिल को विमुक्त किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त एक पुरानी साईकिल राजसात होने योग्य है। तदनुसार फुलकाहा थाना कांड संख्या-52/20,दिनांक-08.05.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में **जब्त एक पुरानी साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात (Confiscate) किया जाता है।** अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें।

विपक्षी (साईकिल मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरुद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं।

उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया

10/04

समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1177/विधि, अररिया, दिनांक 22.4.2021

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/04

समाहर्त्ता, अररिया

न्यायालय,जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्ता * अररिया (बिहार)